

C.P. 98
6/2/2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... of 2014

Prashant Kumar
Shahabuddin AhmadPetitioner

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents

Sub-Termination Matter(Non-Gazetted).

INDEX

<u>Sl No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	Writ application with affidavit.	1- 17
2.	Annexure 1:- A photocopy of order dated 16-03-11 passed by the D.M., Madhepura in respect to appointment.	18- 19
3.	Annexure 2:- A typed copy of appointment letter given by the petitioner to the B.D.O. dated 18-03-11.	20- 21
4.	Annexure 3:- A typed copy of letter no. 214 dated 30-05-13 issued by the C.O., Alam Nagar to D.M., Madhepura.	22
5.	Annexure 4:- A typed copy of the leave application of the petitioner dated 17-05-13 with forwarding order of the B.D.O.	23
6.	Annexure 5:- A typed copy of doctor's certificate.	24

7. Annexure 6:- A photocopy of the letter of the Dy. Collector, Establishment, Madhepura dated 27-08-13 to the S.D.O. Uddkison Ganj. 25
8. Annexure 7:- A photocopy of letter dated 29-08-2013 issued by the S.D.O., Uddakisun Ganj to the Dy. Collector, Madhepura. 26
9. Annexure 8:- A photocopy of letter dated 14-09-13 issued by the Dy. Collector, Establishment, Madhepura. 27
10. Annexure 9:- A photocopy of reply of the S.D.O., Uddkison Ganj dated 30-10-2013. 28
11. Annexure 10:- A photocopy of letter dated 24-04-12 issued by the Circle Officer. 29
12. Annexure 11:- A photocopy of the order of D.M., Madhepura dated 14-08-13 in respect to termination of the petitioner from the post of IT Assistant. 30
13. Annexure 12 & 12/1:- Typed copy of representations filed before the D.M., Madhepura dated 16-08-13 and 23-12-13. 28.12.13 31 33
14. Vakalatnama

SYNOPSIS

The petitioner has come before this Hon'ble High Court against the order of District Magistrate, Madhepura dated 13-08-13, by which he has terminated the service of the petitioner with immediate effect on the ground that his work is not satisfactory and he ~~leave~~^{head left} his head quarter without prior permission and he used to take wine in his office time. The District Magistrate sent letter to the Dy. Collector, Establishment to enquire the matter. On which the Dy. Collector sent letter to the Sub-Divisional Officer as well as Circle Officer under whom the petitioner was doing his job. All of them have submitted that the work of the petitioner was satisfactory. He was sincere and laborious. It has also been stated by them that on surprise visit in the office, they found the petitioner doing his duty honestly and sincerely. There is no report of taking wine etc. The allegations leveled against him are quite wrong. But the learned District Magistrate without considering the letter/report of his sub-ordinate officers has terminated the petitioner from his job.

Hence this writ petition is being filed.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No..... of 2014

In the matter of an application
under Article 226 of the
constitution of India;

And

In the matter of :

Prasant Kumar, S/o Late Birendra Kumar Singh, R/o Village:- Alam Nagar,
P.O. & P.S:- Alam Nagar, Uddkisunganj, Distt:- Madhepura.

.....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar.

2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The Sub-Divisional Officer, Uddkisunganj, Distt:- Madhepura.
4. The Circle Officer, Alam Nagar, Distt:- Madhepura.
5. The Block Development Officer, Alam Nagar, Distt:- Madhepura.

.....Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of
petitioner above named.

Most respectfully sheweth:-

1. That, the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court under
article 226 of the constitution of India for the following reliefs:-

- 1) For issuance of a writ of or in the nature of writ
of certiorari to set aside the order dated 13-

13-08-13 passed by the D.M., Madhepura by which he has terminated the petitioner from service and has communicated the said order to the petitioner and others vide memo no. 673.2 dated 14-08-13 without giving any show cause notice.

- II) For issuances of writ of mandamus directing the respondent concerned to consider the grievances of the petitioner and also consider the representation filed by the petitioner in respect to the order of termination.
- III) For any other appropriate writ/writs, order/orders, command/commands, direction/directions, which your Lordships may deem fit and proper on the facts and circumstances of the case.

2. That, the petitioner has not come before this Hon'ble High court earlier in this matter.

3. That, the aforesaid reliefs are being sought for on the following grounds:-

I) For that, the representations filed by the petitioner in respect to consideration of his grievances on point of termination have not been considered in proper way, which is illegal, improper and bad in the eye of law.

II) For that, the learned D.M., Madhepura without going through the report of his subordinate officers has terminated the petitioner on wrong information, which is apparent from the reports of the officers contained in annexures, which is quite improper in the eye of law. The learned D.M.

before passing of the termination order of the petitioner should have looked after the enquiry reports of the officer concerned but that has not been done by the D.M. Thus the action of the D.M. is against the principle of natural justice and it is violation of the article 14 of the constitution of India.

III) For that, the learned D.M. has also not considered the representation filed by the petitioner in respect to the termination order. This action of D.M. is quite wrong.

IV) For that other grounds will be taken up at the time of final argument.

6. That, the petitioner is citizen of India and is residing within the territorial jurisdiction of the Hon'ble High Court.

7. That, the petitioner was appointed on the post of Block IT Assistant on contract basis by the D.M., Madhepura on the direction of the director BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION under General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna vide letter no. 057 dated 20-01-11 and letter no. 105 dated 22-02-2011 and the said order has been communicated by the D.M., Madhepura vide memo no. 32-1 dated 16-03-11.

A photocopy of order dated 16-03-11 passed by the D.M., Madhepura in respect to appointment is annexed herewith and marked as annexure 1 which forms part of the petition.

8. That, on that very appointment letter, the petitioner joined on the post of Block IT Assistant in the office of B.D.O., Alam Nagar on 18-03-11 and in the learned BDO has accepted ^{his} ~~the~~ joining .

A typed copy of appointment letter given by the petitioner to the B.D.O.

dated 18-03-11 is annexed herewith and marked as annexure **2** which forms part of the petition.

9. That, the Circle Officer, Alam Nagar had sent letter to the D.M., Madhepura bearing letter no. 214 dated 30-05-13, in which he had requested the D.M. for transfer of the petitioner from his office because he was absent from his work at his head office from 20-05-13 to 24-05-13. It has also been stated that he had gone on leave after giving leave application but till 30-05-2013 he was absent from the office. That's why the work of Data Operator had been paralyzed due to his absence.

A typed copy of letter no. 214 dated 30-05-13 issued by the C.O., Alam Nagar to D.M., Madhepura is annexed herewith and marked as annexure **3** which forms part of the petition.

10. That, the allegation leveled against the petitioner is this that he had gone on leave from 20-05-13 to 24-05-13 after giving leave application but he did not return back on his duty up to 30-05-13.

11. That, the petitioner prior to going on leave had given leave application before the B.D.O., Alamnagar for grant of his casual leave. In his application it has also been stated that in his place of working one Manoj Manohar, the executive assistant will look after the work of his office. The learned B.D.O. had also given permission on this matter.

A typed copy of the leave application of the petitioner dated 17-05-13 with forwarding order of the B.D.O. is annexed herewith and marked as annexure 4 which forms part of the petition.

12. That, the petitioner couldn't come back on his duty after expire of

his sanction leave because he was suffering from severe jaundice and the doctor advised him to take complete rest. The doctor has later on given fitness certificate to the petitioner.

A typed copy of doctor's certificate is annexed herewith and marked as annexure **5** which forms part of the petition.

13. That, deputy collector, establishment, Madhepura sent letter to the C.O. Uddkisun Ganj on 27-08-13, in which he has ordered the S.D.O. to enquire the matter in respect to the petitioner on point of leave.

A photocopy of the letter of the Dy. Collector, Establishment, Madhepura dated 27-08-13 to the S.D.O. Uddkisun Ganj is annexed herewith and marked as annexure **6** which forms part of the petition.

14. That, on request of the said authority the S.D.O., Uddkisun Ganj sent his report to the Dy. Collector, Madhepura on 29-08-13 stating therein that it is true that the petitioner had gone on leave from 20-05-13 to 24-05-13 for his treatment and the leave application had been sanctioned. It has also been stated in that very letter that several times surprise inspection had been done by the higher authority and in all the time the petitioner was present in his office and was doing work of the office. In that very letter it has also been stated that prior to passing of the order of the termination no show, so no chance of filing his show cause had been given to the petitioner.

A photocopy of letter dated 29-08-2013 issued by the S.D.O., Uddkisun Ganj to the Dy. Collector, Madhepura is annexed herewith and marked as annexure 7 which forms part of the petition.

15. That, the Dy. Collector, Establishment, Madhepura sent letter to the S.D.O., Uddkisun Ganj bearing letter no. 775-2 dated 14-09-2013 in which he had asked the S.D.O. to give report in respect to the allegation against Prasant Kumar, the petitioner. He had asked three questions from the S.D.O. and also ordered to give report on these question after proper verification.

A photocopy of letter dated 14-09-13 issued by the Dy. Collector, Establishment, Madhepura is annexed herewith and marked as annexure 8 which forms part of this petition.

16. That, on that very letter the S.D.O. enquired the matter about the allegation leveled against the petitioner Prasant Kumar and had finally prepared report and sent it to the Dy. Collector, Establishment, Madhepura on 30-10-13. From the said report it is apparent that the allegations which have been leveled against Prasant Kumar are quite wrong.

12

A photocopy of reply of the S.D.O., Uddhisun Ganj dated 30-10-2013 is annexed herewith and marked as annexure 9 which forms part of this petition.

17. That, the Circle Officer, Alam Nagar, had also sent letter to the Dy. Collector, Establishment Madhepura on 24-04-12, in which he had also stated that the work of Prasant Kumar, the petitioner is quite satisfactory. He has done his duty honestly and sincerely. There is no complain against him from the general public or from the office staff.

A photocopy of letter dated 24-04-12 issued by the Circle Officer is annexed herewith and marked as annexure 10 which forms part of this petition.

18. That, the allegation against the petitioner is this that he used to

attend the office after taking wine. But, the S.D.O., Uddkisun Ganj after proper enquiry on point of allegation, sent letter to the Dy. Collector, Establishment, Madhepura on 30-10-2013 .

19. That, the D.M., Madhepura without considering the real facts and without seeing the report and letter of the S.D.O., C.O., as well as Dy. Collector, Establishment has cancelled the appointment of the petitioner from immediate effect from the post of IT Assistant, Alam Nagar and has communicated the said order to the petitioner and others vide memo no. 673-2 dated 14-08-13.

A photocopy of the order of D.M., Madhepura dated 14-08-13 in respect to termination of the petitioner fro the post of IT Assistant is annexed herewith and marked as annexure 11 which forms part of this petition.

20. That, the petitioner later on filed representation before the D.M.,

Madhepura in respect to allegation leveled against him, on which he has been terminated from the post of IT Assistant on 16-08-13 and 23-12-13. In which he has stated that without giving notice and without giving opportunity for filing show cause etc., he has been terminated from his post. He has also stated that all the higher officers after proper enquiry submitted their reports but those reports have not been considered and he has been terminated. He has also prayed to reconsider his grievances. But the learned D.M., Madhepura has not considered the representation of the petitioner.

Typed copy of representations filed before the D.M., Madhepura dated 16-08-13 and 23-12-13 are annexed herewith and marked as annexure 12 & 12/1 which form part of this petition.

21. That, without giving notice and without asking show cause from the employee in respect to the allegation attributed against him is

quite improper in the eye of law as well as against the principal of natural justice.

22. That, in the circumstances, the petitioner has no other alternative of efficacious remedy than to move before the Hon'ble High Court and the reliefs prayed herein if granted would afford him complete economical and speedy relief.

It is, therefore, humbly prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue a rule NISI, for a writ of or in the nature of writ of mandamus calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in paragraph 1 of this petition be not granted.

And

Upon return of the writ and the rules and perusing such causes as may be

shown and after hearing counsel for the parties the writ and the rule be made absolute and further be pleased to allow this writ application.

And

Further be pleased to set aside the order dated 13-08-13 passed by the District Magistrate, Madhepura which has been communicated to the petitioner vide memo no. 673-2/Est. dated 14-08-13 in respect to termination of the petitioner.

And/or

Pass such other appropriate writ/writs order/orders, command/commands, direction/directions which your lordships may deem fit and proper.

And for this petitioner shall ever pray.

17

AFFIDAVIT

I, Prasant Kumar, aged about 30 years, S/o Late Birendra Kumar Singh, R/o

Village:- Alam Nagar, P.O. & P.S:- Alam Nagar, Uddkisunganj, Distt:-

Madhepura, do hereby solemnly affirm and states as follows:

1. That, I am petitioner in this case and as am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of the petition and affidavit have been read explained to me in Hindi which are true to my knowledge.
3. That, the statement made in paragraph no. 1 to 6, 18, 21 & 22 are true to my knowledge, those made in paragraph no. 7 to 17, 19 & 20 are true to my information derived from the records rests are by way of submission to this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true copies of their originals.

Annexure - 1



पदाधिकारी, जिला
मधेपुरा जिला
बिहार

मधेपुरा जिला प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/मधेपुरा प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना के पत्रांक-957, दिनांक-20.01.2011 एवं पत्रांक-105, दिनांक-22.02.2011 से प्राप्त
विदेश के नागरिकों के मधेपुरा जिला में विभिन्न प्रकार के आवेदनों के से निम्नलिखित अभ्यर्थियों का नियोजन
शेड्यूल के आधार पर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (Block I.T. Assistant) के पद पर निम्नलिखित
शर्तों के साथ किया जाता है एवं विभिन्न प्रखंडों में नीचे अंकित विवरण के अनुसार अगले आदेश तक
पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन के प्रखंड का नाम
1	2	3	5
1	संतोष कुमार	सुबोध कुमार	चैलाढ़
2	पंकज कुमार	बिरेन्द्र प्र० यादव	पुरैनी
3	वितेश कुमार	नन्दीकिशोर चौधरी	उदाकिशुनगंज
4	दीपक कुमार	डा० उदय कृष्ण	सिंहेश्वर
5	मणिन्द्र कुमार	किशोर कु० यादव	शंकरपुर
6	शशि रजन कुमार	कृष्णानन्द शर्मा	गम्हरिया
7	सुनिता सिंह	अजय यादव	मधेपुरा
8	आनन्द कुमार	योगेश्वर साह	ग्वालपाड़ा
9	श्वेता कुमारी	प्रभाकर लाल प्रसा	सुरलीगंज
10	प्रभात कुमार	श्याम चिरन्द कुमार सिंह	आलमनगर
11	गीरव कुमार दत्त	विजय प्र० दत्त	बिहारीगंज
12	अमित कुमार अभिषेक	दीप नारायण राज	कुमारखंड

चूंकि Block I.T. Assistant का नियोजन जिला स्तर पर किया गया है, जिस हेतु जिला पदाधिकारी
प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के नियुक्ति प्राधिकार हैं तथा इनके पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं सेवा मुक्त
करने आदि का पूर्ण अधिकार उनमें निहित होगा, जिसे आवश्यकतावुरूप मिशन द्वारा संशोधित किया जा
सकता है।

यदि इनमें कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश पदस्थापन के लिए अयोग्य पाया जाय, तो उसे जिला पदाधिकारी का श्रेयवाचक पत्र
जारी किया जाएगा।

संगीत।

इसके अलावा प्रत्येक गाँव में एक-एक गाँव में योगदान की तिथि या तिथि का स्वरूप देना है।
आदेश निम्नलिखित है कि गाँव में एक-एक गाँव में विविध स्थान पर योगदान नहीं देने पर
नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

4. चयनित Block I.I. Assistant शीघ्र कर्णाकित पत्रों में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें
तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को विवरण में कार्य करेंगे। इनके बैठने का आधारभूत सुविधा व
सप्लाई संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना जायेगी। योगदान स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय
को भी दी जाये।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

M. M. S.
(10)
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

आपका 32-1 द्वारा प्राप्त दिनांक 16-03-2011

प्रतिनिधि सभी संबंधित प्रखंड सुबल प्रशासिकी पदाधिकारी (Block I.I. Assistant) को सूचना एवं
अनुपालनाएं प्रेषित।

प्रतिनिधि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई का परिणाम

प्रतिनिधि अनुसूचित पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई का परिणाम

प्रतिनिधि उपर मिशन विभाग जिला पदाधिकारी द्वारा मिशन सोसाइटी (साभास) पदाधिकारी, विभाग

पटना को सूचनाएं प्राप्त।

M. M. S.
(10)
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

अनेक्सचर- 1

स्माहरपालय मधेपुरा ।

स्थापना शाखा

आदेश ।

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी {सामान्य प्रशासन विभाग}, बिहार, पटना के पत्रांक -057 दिनांक 20.01.2014 एवं पत्रांक-105 दिनांक 22.02.2011 से प्राप्त निदेश के आलोक में मधेपुरा जिला के लिए प्राप्त आवेदनों में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों का नियोजन संविदा के आधार पर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक {Block IT Assistant} के पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है कि विभिन्न प्रखंडों में नीचे अंकित विवरण के अनुसार अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन के प्रखंड का नाम
1	2	3	4
1.	संतोष कुमार	सुबोध कुमार	पेलाद
2.	पंकज कुमार	बिरेन्द्र प्र० यादव	पुरैनी
3.	नित्तिा कुमार	नंदकिशोर चौधरी	उदाकीशनुगंज
4.	दक्षिण कुमार	डा० उदय कृष्ण	सिंघेवर
5.	मणिन्द्र कुमार	किशोर कु० यादव	शंकरपुर
6.	अशि रंजन कुमार	कृष्णानन्द शर्मा	गम्हरिया
7.	सुनिता सिंह	अजय यादव	मधेपुरा
8.	आनन्द कुमार	योगेश्वर साह	ग्वाल्पाड़ा
9.	श्वेता कुमारी	प्रभाकर लाल दास	मुरलीगंज
10.	प्रशांत कुमार	स्व० विरेन्द्र कुमार सिंह	आलमनगर
11.	गौरव कुमार दर्वे	विजेन्द्र प्र० दर्वे	बिहारीगंज
12.	अमित कुमार अभिषेक दीप नारायण राम		कुमारखंड

1. चूंकि Block I.T. Assistant का नियोजन जिला स्तर पर किया गया है जिस हेतु जिला पदाधिकारी प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के नियुक्ति प्राधिकार हैं तथा इनके पदस्थापन संधानान्तरण एवं सेवा मुक्त करने आदि का पूर्ण अधिकार जिला स्तर पर सकता है।

बिहार प्रखंड विभाग पञ्जाब नगर
आलमनगर

विषय - Block IT ASSISTANT के नियोजन हेतु

महाशय,

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन

सोलापती महान्ध प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहायक के नियुक्ति प्रकाशित कि गई है। सूचना सुन्ती है को उम्मीद है प्रखंड अतिरिक्त सूची में के आती है।

प. ४

18/3/11

योगदान 18/3/11

पंजाब नगर 18/3/11

आज दिनांक 18-03-2011

मुकेश

प्रखंड में घोषणा वरिष्ठ कर रहा है।

Prasanta Kumar
18-03-2011

विश्वास अजय

- प्रशासन सुधार
- 8061 987965
- prasantsj@gmail.com

आपका 388-2 दिनांक 18.3.11

पंजाब नगर - बिहार (राज्य) एक सभा इति, मधुपुरा को सचिव प्रेषित।

18/3/11

पंजाब नगर पञ्जाब नगर 18/3/11

विश्व पर्यायिका, कलकत्ता के आदेश नम्बर 32-1/1911
दिनांक 16-03-1911 के अन्वये में श्री प्रयोग्य प्रचार
प्रयोग्य के लिये पद पर नियुक्ति किया गया है
एवं पदोत्पादन पर्याय आस्पत्रगण किया गया है

उक्त आदेश के आदेशों में श्री प्रयोग्य प्रचार
दिनांक 18-3-11 के अन्वये में अदना भोजन
सम्बन्धित किया है
काल इत्यादि के लिये भी अदना भोजन

8
अदना
18/3/11

400 रु 400
18/3/11

संख्या २२१११

कमिशन २१४ ३५५११९



अतिरिक्त सहायक
सचिव

दिनांक
१०-५-२०१३
५/५६

विभागाध्यक्ष
समस्त

महोदय
कमिशन
३५५११९

आर.पी.ए.ए. के पदाधिकारियों के
संबंधित पत्रों के संबंध में

उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया श्री आर.पी.ए.ए.

की ओर ध्यान देने के लिए आदि. ए. ६३५३ में धारित कृपया

७५१
३५५११३

कृपया कृपया कृपया द्वारा अग्रिम कृपया

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

कृपया के अग्रिम के संबंध में आदि. ए. ६३५३

निष्ठापूर्वक
[Signature]
आदि. ए. ६३५३



Annexure - 5

रक्तपी चौक, पूर्णियाँ
A. : 9334008576

डा० अर्णवीश कुमार
Dr. Arnish Kumar
M.B.B.S. (P.M.C.I.), Patna
Ex Recd.-D.D.U. Hospital, New Delhi
चिकित्सा पदाधिकारी
जेनरल फिजिशियन
REG.-35458, BCOMR, PATNA

Date: 29/07/13
Age: 25 Sex: M

Patient Name: Prashant Kumar
Address: S/o Late Sunil Kumar Singh; SONBARSA - Madhepura.

This is to state that above mentioned
Pt. was suffering from jaundice &
was advised for complete bed
Rest for period of 20/07/13 to 29/07/13.

During this period
he was under my treatment.
now he is fit to join
his duties.

Dr. Arnish Kumar
M.O. Pr. - Durgam

500 bil-3.9
ESFT - 170
1/2 given
MF DNS + Polym-70
Tab Nabonum In - 3rd
T. vedikiv 1x2 - 10 d.
T. kv 52 02 1x1 - 10
SP kv 52 2/10/11 (2)
Rest.

Annexure - 2

25

समाजवादी मधेपुरा

पु.स. (समाजवादी मधेपुरा)
मधेपुरा, जिला स्यापवा उप-समाहर्ता

प्रमाण,

जिला स्यापवा उप-समाहर्ता,
मधेपुरा।

संख्या में,

अनुमंडल फलविकासी,
उदादिशुभार्ज

मधेपुरा, दिनांक 27/11/2018

विषय :

श्री प्रशांत कुमार, तत्कालिन आई०टी०सहायक, आलमनगर से संबंधित प्रतिवेदन
बारे में संकेत में।

सहायक,

संबंधित वेबसाइट के संकेत में श्री प्रशांत कुमार, तत्कालिन आई०टी०सहायक,
आलमनगर द्वारा अनेक बार आदेश की कार्यावधि इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुमंडल के वि० आदेश पत्र पर जिला फलविकासी महोदय के पृष्ठयुक्त आदेश के
आलोक में जीवोपसक्त अत्यन्तक विवरणी आवश्यक भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- संकेत।

विश्वासभाजन

जिला स्यापवा उप-समाहर्ता,
मधेपुरा।

Annexure

26

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

पत्रांक-702-2/13

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

जिला स्थापना उपसमाहर्ता,

मधेपुरा।

उदाकिशुनगंज, दिनांक 21-05-13

विषय :- श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0 सहायक, आलमनगर से सम्बंधित प्रतिवेदन का

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-702-2 स्था0 दिनांक- 27.05.13

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0 सहायक, आलमनगर द्वारा भवदीय को समर्पित आवेदन पत्र पर पृष्ठांकित आदेश के अनुपालन में आवश्यक पूछ-ताछ/जाँच की गई एवं स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर को दिनांक- 20.05.13 से 24.05.13 तक अवकाश स्वीकृति के सन्दर्भ में दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में प्रधान सहायक प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय, आलमनगर से पूछा गया तो प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि वास्तव में श्री प्रशांत कुमार उक्त तिथि को अवकाश स्वीकृत कराकर ही इलाज हेतु गये हुए थे।
2. अघोहस्ताक्षरी द्वारा कई वार औचक निरीक्षण के कम में भी श्री प्रशांत कुमार तत्कालीन आई0टी0 सहायक को अपने कर्तव्य पर निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए पाया था।
3. श्री प्रशांत कुमार के द्वारा पूछ-ताछ के कम में बताया कि इस संबंध में कहीं से कोई स्पष्टीकरण भी उनसे नहीं पूछा गया, ताकि स्थिति की जानकारी उनके द्वारा दी जाय।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अनुगोध है कि नैसर्गिक न्याय के मददेनजर श्री प्रशांत कुमार से स्पष्टीकरण पूछते हुए प्राप्त स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(सह)

अनुमंडल पदाधिकारी

उदाकिशुनगंज।

21/5/13

Annex - 8

(27)

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

पत्रांक 775-2 / स्था0

24/8

प्रेषक,

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

विषय :-

श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0, सहायक, आलमनगर से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का संबंध में।

मधेपुरा, दिनांक-14-9-2013

प्रसंग:-
महाशय,

इस कार्यालय के पत्रांक-702-2, दिनांक-27.08.2013

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0, सहायक आलमनगर के द्वारा समर्पित आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए जॉचोंपरान्त एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसके संदर्भ में आपके पत्रांक-2341-2, दिनांक-29.08.13 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन भेजा गया है, परन्तु निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:-

1. श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0, सहायक दिनांक-30.05.2013 तक अर्थात् अंचल अधिकारी आलमनगर के प्रतिवेदित तिथि तक अनुपस्थित थे। वे कब मुख्यालय लौटे तथा इस अवधि का अवकाश स्वीकृत है अथवा नहीं ?
2. दिनांक-07.05.2013 को आर0टी0पी0एस0 काउन्टर में प्राप्त 8 (आठ) आवेदनों के आवेदकगण को दिनांक-19.05.2013 तक (अर्थात् अवकाश में जाने की तिथि 20.05.2013 के पूर्व तक) सेवा प्रदान क्यों नहीं की गयी ?
3. आई0टी0 काउन्टर पर शराब पीने के आरोप की जॉच नहीं की गई है।

निदेशानुसार अंचल अधिकारी, आलमनगर से प्राप्त प्रतिवेदन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए कंडिकावार तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- 3 (त्रयोन्त)

- ① अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन।
- ② भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदा के प्रतिवेदन।
- ③ जिला पढाठ, मधेपुरा का आवेदन पत्रांक-673-2, दिनांक-14.8.13

विश्वासभाजन

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
मधेपुरा।

19/9/13

Annexure 9
अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

(28)

पत्रांक 3078-2
(सपा)

प्रेषण

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज

सेवा में,

जिला स्थापना उप-समाहर्ता,
मधेपुरा।

उदाकिशुनगंज, दिनांक 20-10-2013

विषय :- श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0 सहायक, आलमनगर से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।


प्रसंग :- भवदीय पत्रांक- 775-2स्था0/सपत्र, दिनांक- 14.09.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में आवश्यक पूछताछ/ जांचोपरांत निम्नप्रकार बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जाता है :-

01. श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0, सहायक 20.05.2013 से 24.05.2013 तक आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन प्रधान सहायक, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर को देकर इलाज हेतु चले गये थे। जिसकी पुष्टि प्रधान सहायक ने भी की है। आवेदन पर इनके स्थान पर कार्य करने की सहमति मनोज मनोहर, कार्यपालक सहायक ने आवेदन पर हस्ताक्षर कर, की है (आवेदन की छायाप्रति संलग्न)। परन्तु श्री कुमार दिनांक- 29.05.2013 को मुख्यालय वापस लौटे है (उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न)। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि अवधि विस्तार हेतु आवेदन चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
02. श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई0टी0 सहायक ने बताया कि 07.05.2013 को कुल-08 आवेदन प्राप्त हुए जिसे इन्ट्री कर संबंधित सहायक को हस्तगत करा दिया गया था जो 19.05.2013 तक प्रमाण पत्र तैयार हेतु उन्हें नहीं दिया गया। इसी बीच वे अवकाश में चले गए। इनके अनुपस्थिति में कार्यपालक सहायक द्वारा प्रमाण पत्र तैयार कर निर्गत किया गया है।
03. अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार औचक निरीक्षण के क्रम में कभी भी शराब पीये हुए नहीं पाये गये न तो किन्हीं के द्वारा कोई शिकायत ही की गई है।

विश्वासभाजन



अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

अंचल कार्यालय, आलमनगर

पत्रांक. 473-2 / No 24412

प्रेषक,

अंचल पदाधिकारी,

आलमनगर।

सेवा में,

जिला स्थापना उप समाहर्ता,

मधेपुरा।

विषय:- प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (आई0टी0 असिस्टेंट) का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्री प्रशांत कुमार आई0टी0 असिस्टेंट, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर का मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

श्री प्रशांत कुमार, आई0टी0 सहायक द्वारा प्रखंड स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जाति, आय, शिवारा प्रमाण-पत्र, दाखिल-स्वार्जिज, भू-रकामित्व प्रमाण-पत्र, इंदिरा आवास शिविर, कन्या विवाह शिविर, छात्रवृत्ति शिविर का कार्य सम्पादन किया गया है। आम जन के व्यवहार से किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। पदाधिकारी द्वारा गोंधे गये अन्य कार्य का सम्पादन स-समय किया गया है।

इनका कार्यकलाप संतोषजनक है। इनकी सेवा अवधि विस्तारित किया जा सकता है।

विश्वामाजिन

अंचल अधिकारी

आलमनगर

24/4/12

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

--आदेश--

अंचल अधिकारी, आलमनगर ने अपने पत्रांक-214, दिनांक-30.05.2013 के प्रार संसूचित किया है कि श्री प्रशान्त कुमार, प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, आलमनगर औपचारिक रूप से दिनांक-20.05.13 से 24.05.13 तक अवकाश आवेदन देकर प्रतिवेदन प्रेषित करने की तिथि 30.05.13 तक अपने कर्तव्य पर नहीं लौटे है। उसी प्रकार श्री शशि कुमार मुन्ना, कार्यपालक सहायक, आलमनगर भी अनधिकृत रूप से दिनांक-28.05.13 से प्रतिवेदन प्रेषित करने की तिथि तक अनुपस्थित रहे हैं। पुनः भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज ने भी दिनांक-28.05.13 के क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें इन्हें अनुपस्थित पाया है। अंचल अधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि कार्यपालक सहायक/ सूचना प्रौद्योगिकी सहायक अनियंत्रित है एवं शराब का सेवन कर काउन्टर पर आते है। साथ ही भाड़े पर आदमी रखकर गलत रूप से केन्द्र संचालित करते है। इनका कार्य असंतोषजनक रहा है। अंचल अधिकारी आलमनगर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदनानुसार इनका कार्यकाल असंतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

अतएव दोनों पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रशान्त कुमार, प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, आलमनगर एवं श्री शशि कुमार मुन्ना, कार्यपालक सहायक, आलमनगर का नियोजन तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अगले सात कागजात आर0टी0पी0एस0 में प्रतिनियुक्त कर्मी को सौंप देंगे।

अंचल अधिकारी, आलमनगर को निदेश दिया जाता है कि वे अपने पर्यवेक्षण में प्रस्ताव दिलाया सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि उक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए पूर्व फिल से अग्रतर कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

स्/—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-673-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक-14.08.13

प्रतिलिपि :- श्री प्रशान्त कुमार, प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, आलमनगर/ श्री शशि कुमार मुन्ना, कार्यपालक सहायक, आलमनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज/ अंचल अधिकारी, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


स्/—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Annexure - 12

विभागाध्यक्ष,
राजपुरा।

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में
आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में
आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में



आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

आकाशवाणी कक्षालय, आलमनगर आइटीओ अडिस्टेट के पद पर नियोजन रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

विकासप्रधान
प्रधान कुशर
तत्कालिक आइटीओ अडिस्टेट
प्रबंध कार्यलय
आलमनगर

Handwritten notes and signatures in Hindi, including dates like 15/05/2013 and various names.

Answer 12/11

बना प्र

जिला पदाधिकारी महाराष्ट्र
मुंबई

जापान
श्री प्रशांत के विषय
23/11/13
महाराष्ट्र

श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन आई.टी
लक्ष्मण, आलमनगर पुनः निर्माण करने के
लेब पर प्र

निवेदन पूर्वक कहना है कि महाराष्ट्र के
महानिदेश है कि श्री प्रशांत कुमार तत्कालीन
आई.टी लक्ष्मण आलमनगर पर पर कार्यरत
था कि 20-5-2013 से 24-5-13 तक आर्किटेक्चर
अवकाश से था इसी अवसर पूर्व बिना कोई
एप्लिकेशन पूर्व पदच्युत कर दिया गया है।
जबकि वे निर्दोष हैं। इस अवसर के कारण
अनुपेक्षित पदाधिकारी का ऑन्य पर भी
बलवत कर रहा है।

अतः श्रीमान के आग्रह है कि
मुझे इन निर्माण हेतु विचार किया जाय
इसके लिए श्रीमान का लदा अग्राही बना
रहेगा

23-12-13

बलवत कुची
अनुपेक्षित पदाधिकारी
व्यक्ति निर्माण का ऑन्य
निवेदन

विश्वालय

प्रशांत कुमार
तत्कालीन आई.टी लक्ष्मण
आलमनगर

An 12/2

33

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

मधेपुरा।

विषय : आर0टी0पी0एस0 कार्यालय में आई0टी0 सहायक के नियोजन रद्द किये गये पुनः नियोजित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर निवेदन है, कि मैं प्रशान्त कुमार आई0टी0 आलमनगर पिता-स्व0 विरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-सोनवर्षा का निवासी हूँ। मेरी नियुक्ति आई0टी0 सहायक पद पर हुई मैं निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक कार्य 20 अगस्त 2013 करता रहा।

परन्तु अंचल अधिकारी, आलमनगर, कोप भाजन बनने के उपरान्त प्राप्त अंचल अधिकारी स्थानीय लोग से गलत आवेदन प्राप्त कर उच्च अधिकारी के पास मेरे बारे में निराधार शिकायत की गई। उसी आलोक में स्थानीय भूमि सुधार उप-समहर्ता एवं विभागीय अधिकारी के मतव्य पर पूर्व जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने मेरी नियोजन रद्द कर दी हैं। पुनः मेरे आवेदन पर माननीय जिला पदाधिकारी, महोदय जाँच करने का आदेश दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि नियोजन रद्द करने के पूर्व मुझसे कोई, स्पष्टीकरण नहीं पुछा गया। यहाँ कि पूर्व जिला पदाधिकारी, के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज महोदय ने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि मेरे विरुद्ध लगाये गये सारे आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है।

यहाँ निवेदन पूर्वक कहना है कि एस0डी0ओ0 उदाकिशुनगंज के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात् अपर समहर्ता महोदय मधेपुरा फिर से मेरे विरुद्ध लगाये आरोप का बिन्दु बार जाँच प्रतिवेदन की मांग स्थानीय एस.डी.ओ. उदाकिशुनगंज से बिन्दुबार जाँच रिपोर्ट करते हुए स्पष्ट किया गया कि मेरे विरुद्ध सारे आरोप निराधार है और गलत मंशा से उपरोक्त दोनों जाँच प्रतिवेदन के पश्चात् भी समाहर्ता महोदय मधेपुरा ने मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया और संचिका को संचिकाष्ट कर दिया।

उपरोक्त आलोक सविनय पूर्वक कहना है कि मैं दिनांक-20.05.2013 से 24.05.2013 अकश्मिक अवकाश हेतु चले गए थे। जिसकी पुष्टी प्रधान सहायक से मिल सकता है।

(2) मैं दिनांक-07.05.2013 को कुल 8 आवेदन प्राप्त जिसकी इंट्री कर संबंधित सहायक को हस्तगत करा दिया गया और प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया गया।

(3) मुझ पर लगे आचरण संबंधी शिकायत भी निराधार पाया गया।

(4) अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार औचक निरीक्षण के क्रम में भी मैं कार्य करते हुए पाया गया है।

(5) नियोजन रद्द करने के पूर्व मुझ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं पुछा गया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए पुनः मुझे नियोजित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

Prashant Kumar
28/12/13

प्रशांत कुमार

तत्कालिक आई0टी0 सहायक

2.

॥क॥ इन्हें स्पेकित रूप से कुल मानदेय मासिक 8,000 ॥आठ हजार॥ रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा । इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी ।

द्वंद्व इसकी नियुक्ति संविदा के आधार पर होगा एवं एक वर्ष के लिए किया जाएगा और आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा ।

॥ग॥ सामान्य प्रशासन विभाग के 25 जुलाई 2007 की निर्गत परिपत्र के आलोक में अवकाश होगा ।

3. उपर्युक्त आदेश तुरन्त प्रभाव के साथ होगा तथा योगदान की तिथि से वित्तीय लाभ देय होगा । आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर निदेशित स्थान पर योगदान नहीं देने पर रद्द नियुक्त स्वतः समाप्त माना जाएगा ।

4. 7 चयनित Block I.T. Assistant शीर्ष कर्णिक प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे । इसके बैठने एवं आधारभूत संविदा को उपलब्धता संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा भी जासगी । योगदान की स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय ।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय ।

EO अस्पष्ट

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ।

दिनांक 16.3.11

ज्ञापांक- 32-1/स्था0, मधेपुरा

प्रतिलिपि सभी संबंधित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक ॥Block I.T. Assistant॥ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा उदयकिशोरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ॥सामान्य प्रशासन विभाग॥ बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

EO अस्पष्ट

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा ।